

न्यायालय कलक्टर, एवं जिला मजिस्ट्रेट चित्तौड़गढ़ (राज.)
पीठासीन अधिकारी इन्द्रजीत सिंह, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 80/2017 (रे.वि.)
पंजीयन दिनांक 10.11.2017

बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा भीण्डर चन्द्रलोक सिनेमा के पास, नया बस स्टैण्ड भीण्डर
राजस्थान जरिये प्राधिकृत अधिकारी

-प्रार्थी

बनाम

- 1-श्री हेमराज डांगी पिता भंवरलाल डांगी गांव ताणा, डांगियों का तालाब तहसील
कपासन, जिला चित्तौड़गढ़
- 2-श्री भंवर लाल पुत्र भेराजी डांगी निवासी ताणा, डांगियों का तालाब तहसील
कपासन, जिला चित्तौड़गढ़

-अप्रार्थीगण

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण, पुनर्गठन ओर
प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

उपस्थिति : 1- श्री लोकेश कुमार गदिया, अधिवक्ता प्रार्थी बैंक

आदेश

दिनांक 06.03.2018

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण, पुनर्गठन ओर
प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत
किया। प्रार्थना-पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण को
राशि रूपये 24,00,000/- रु. की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गयी है। ऋण राशि
के पुनर्भुगतान हेतु अप्रार्थीगण द्वारा अपनी निम्न सम्पत्ति को प्रार्थी बैंक के पक्ष में
रहन कर दिया। अप्रार्थीगण द्वारा नियमित रूप से प्रार्थी बैंक को ऋण का भुगतान
करने में असफल रहने पर प्रार्थी द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के
अन्तर्गत नोटिस जारी किये गये, किन्तु अप्रार्थीगण द्वारा बकाया राशि जमा नहीं
कराये जाने से यह आवेदन प्रस्तुत किया गया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सूचना पत्र जारी किये गये।
विपक्षी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री नरेश शर्मा एवं विपक्षी संख्या 2 की
ओर से अधिवक्ता श्री अल्पेशपुरी गोस्वामी ने अधिकार पत्र पेश किया। दौराने बहस
अधिवक्ता विपक्षी संख्या 2 अनुपस्थित रहने से उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के
आदेश दिए गए। बहस प्रकरण उभय पक्ष सुनी गयी।

बैंक के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि
प्रार्थी बैंक एक नियमित निकाय है, जो अपनी शाखाओं के माध्यम से बैंकिंग

प्रकरण संख्या 80/2017 (रे.वि.)
बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा भीण्डर बनाम श्री हेमराज डांगी निवासी ताणा वगैरा

व्यवसाय करती है। प्रार्थी बैंक ने इस शाखा से अप्रार्थीगण को उक्त ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गयी जिसके तहत रहन की गई जायदाद का विवरण निम्न है:-

LOT-1:- Equitable Mortgage of Residential House Situated at Tanna Dangiyo ka Talab Teh. Kapasan, Distt. Chittorgarh, Admeasuring Area 4391.2 sq.ft. Patta No. 1502 in the name of Shri Hemraj Dangi S/o Shri Bhanwar Lal Bounded By:-

East :- Bhanwar Lal Dangi West :- House of Bhanwar Lal Dangi
North :- House of Lala & Bhima Dangi South :- Public Road

LOT-2:- Equitable Mortgage of Residential House Situated at Tanna Dangiyo ka Talab Teh. Kapasan, Distt. Chittorgarh, Admeasuring Area 4301 sq.ft. Patta No. 1501 in the name of Shri Bhanwar Lal S/o Shri Bhera ji Dangi Bounded By:-

East :- House of Hemraj Dangi West :- Public Road
North :- House of Sohan Lal South :- House of Heera Lal

उक्त सम्पति प्रार्थी बैंक के पक्ष में रहन रख कर ऋण स्वीकृत किया गया था। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी बैंक को ऋण व ब्याज की राशि नियमित भुगतान नहीं करने पर, प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण को नोटिस दिये जाने के उपरान्त भी राशि का भुगतान नहीं किया गया है। जिससे अप्रार्थीगण के जिम्मे दिनांक 31.12.2013 तक राशि रूपये 19,22,823/-रूपये तथा ब्याज व अन्य चार्जेज देय निकलते है। उक्त राशि का भुगतान नहीं करने से अप्रार्थीगण स्वयं जिम्मेदार है। अतः अप्रार्थीगण द्वारा बतौर जमानत प्रार्थी बैंक के पक्ष में रहन रखी गयी सम्पति का कब्जा जरिए पुलिस इमदाद प्रार्थी बैंक को दिलाया जावे।

अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर लोन स्टेटमेन्ट (दस्तावेज) तलब करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर जवाब हेतु अवसर प्रदान करने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण को ऋण उपलब्ध कराये जाने से इस राशि के पुनर्भरण हेतु बतौर प्रतिभूति उक्त जायदाद अप्रार्थीगण ने बैंक के पक्ष में रहन रखी है। बैंक द्वारा अप्रार्थीगण को नोटिस दिये जाने के उपरान्त भी उपरोक्त बकाया राशि जमा नहीं कराई गयी है। द सिक्वोरिटार्ईजेशन एण्ड रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेन्शियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेन्ट ऑफ सिक्वोरिटी इन्टरेस्ट (सेकण्ड) एक्ट, 2002 की धारा 14 में सर्व प्रथम उक्त रहन रखी गयी सम्पति को प्रार्थी बैंक के कब्जे में दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। अतः ऋणी द्वारा बैंक में रखी गयी सम्पति का कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित है।

अतः प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण द्वारा बैंक के पक्ष में रखी गयी पैरा संख्या 3 में वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक प्रतिनिधि को जरिये पुलिस संभलाये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

‘निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।’

(इन्द्रजीत सिंह)
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
चित्तौड़गढ़